

मैनुअल – 13

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

(Particulars of Recipients of Concessions, Permits or
Authorizations Granted by it)

उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड,

जिला पंचायत परिसर, धारानौला, अल्मोड़ा

**उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में
विवरण**

(Particulars of Recipients of Concessions, Permits or Authorizations Granted by it)

- | | |
|--|--|
| 1) कार्यक्रम का नाम/प्रकार | पूर्व से संचालित उप परियोजना, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजना एवं मनरेगा योजना |
| 2) प्रकार | रियायत |
| 3) कार्यक्रम का उद्देश्य | चाय विकास को बढ़ावा देकर कृषकों के आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। |
| 4) कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य | बोर्ड द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं |
| 5) लाभार्थी की पात्रता | समस्त कास्तकार जिनके पास मानकों के अनुसार चाय बागान विकास कार्यक्रमों के लिए भूमि उपलब्ध हो। |
| 6) पात्रता का आधार | चाय बागान विकास में रुचि रखने वाले कास्तकार जिनके पास पर्याप्त भूमि तथा सिंचाई आदि के साधन उपलब्ध हैं तथा योजना में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार जो पात्रता की श्रेणी में आता है। |

7) पूर्वापेक्षायें

कृषकों की आर्थिक स्थिति चाय बागान विकास के माध्यम से सुनिचित करना।

8) अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

चाय रोपण हेतु उस क्षेत्र विशेष के कास्तकारों का ही चयन बोर्ड द्वारा किया जायेगा जिस क्षेत्र मे 150—200 हैक्टेयर भूमि चाय रोपण हेतु उपयुक्त पायी जायेगी जहाँ एक फैक्ट्री की स्थापना हो सके वर्तमान में यह योजना जनपदबागेश्वर/चम्पावत/अल्मोड़ा/(कुमाऊँ

में) तथा जनपद चमोली/रुद्रप्रयाग/पौड़ी/टिहरी (गढ़वाल में) प्राथमिकता से लागू की जायेगी।

9) रियासत, अनुज्ञा पत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिये निर्धारित समय सीमा

वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत शून्य

10) आवेदन शुल्क

11) आवेदन पत्र का प्रारूप

सादे कागज पर

12) संलग्नकों की सूची

दिशानिर्देश/आवश्यकतानुसार।

13) संलग्नकों का प्रारूप

दिशानिर्देश/आवश्यकतानुसार।

14) प्राप्तिकर्ताओं की सूची

मुख्यालय स्तर पर अनुरक्षित